न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/203/2019

अपीलार्थीः–
जितेश शर्मा, मकान 17 प्रताप नगर एमक्योर हास्पिटल के पास मालपूरा टोंक (राजस्थान)

प्रत्यर्थीः–
लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन जिला रसद अधिकारी, अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––   दिनांकः– 06.01.2020

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 28.09.2019 के माध्यम से आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दूवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वॉछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वॉछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 16.12.2019 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त नहीं हुआ।
5. पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 29.9.19 को लोक सूचना अधिकारी, कलैक्ट्रेट अलवर को प्रस्तुत किया गया, सूचना कार्यालय से संबंधित ना होने के कारण जिला कलक्टर द्वारा धारा 6 (3) के अन्तर्गत क्रमांक 530 दिनांक 3.10.19 से स्थानान्तरण जिला रसद अधिकारी, अलवर को किया जा चुका है। अपील प्रस्तुत होने के पश्चात् कार्यालय के नोटिस पत्रांक 1822 दिनांक 3.12.19 एवं पत्रांक 1898 दिनांक 31.12.19 के द्वारा जवाब पेश करने हेतु लिखा गया था–किन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपील का कोई जवाब नहीं भिजवाया जिससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को वांछित बिन्दूओं उपलब्ध नही कराई गयी है। साथ ही प्रकरण में अपील दायर होने के बाद भी प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई, जो सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 में व्याप्त निर्देशों की अवेहलना की श्रेणी में आता है। लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है किया कि प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का निस्तारण नियत समय अवधि में किया जावें, साथ ही पूर्व में प्रेषित पत्र के अनुसार अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करावें। अपील अपीलांट स्वीकार होने योग्य है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

6. प्रायः यह देखने में आया है कि जिला रसद अधिकारी के विरूद्व पेश होने वाली अपीलों में नोटिस जारी करने के पश्चात् उनके यहाँ से ना ही कोई प्रतिनिधि उपस्थित होता है और ना ही नोटिस का जबाव प्राप्त होता है, नोटिस का जबाव प्राप्त न होने की स्थिति में प्रायः अपीलें स्वीकार करनी पडती है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्राप्त अपीलों में जारी नोटिस के उपरान्त जबाव प्रस्तुत करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

7. निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।

8. निर्णय आज **दिनांक 06.01.2020** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलेक्टर,अलवर
जिला कलक्टर
अलवर (राज०)